रजिस्टर्ड नं० पी०/एम० एम० 14

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 31 मार्च, 1981/10 चैत्र, 1903

हिमाचल प्रदेश सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग
"अनुभाग-ग"

[अधिसूचना

शिमला–2, 30 मार्च 1981

सं० सा० प्र० वि० (पी० ए०) (4) (घ) 49/78-ग-खण्ड-II.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महोदय इस बारे में जारी की गई पूर्व गामी सभी अधिसूचनाओं का

अधिक्रमण करते हुए तथा मन्त्रियों (हिमाचल प्रदेश) के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 3) की धारा 7-क के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियमों को सहर्ष बनाते हैं :--

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) ये नियम हिमाचल प्रदेश के मन्त्रियों के (भवन निर्माण हेतु अग्रिम ऋण) नियम, 1981 कहलाएंगे ।

(2) ये नियम तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

परिभाषायें

2. इन नियमों में जब तक कि विषय अथवा संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो --

(क) "अधिनियम" से अभिप्राय मन्त्रियों हिमाचल प्रदेश के वेतन एव भत्ते अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम 3) से है ;

(ख) "सम्मोदक प्राधिकारी" से अभिप्राय हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल से है, तथा

(ग) इन नियमों में प्रयुक्त अन्य सभी शब्द तथा पद जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, का क्रमश: वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में दिया गया है।

अग्रिम राशि कब स्वीकार्य है ।

3. किसी भी मन्त्री जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के मन्त्रियों के (मोटरकार के लिये अग्रिम धन राशि) नियम, 1971 के अधीन अग्रिम राशि की सुविधा के लाभ न उठाया हो, के द्वारा प्रारूप-I पर दिये गये आवेदन पर, उनके समुचित जीवन स्तर का ध्यान रखते हुये अपना भवन निर्माण करने अथवा निर्मित भवन को खरीदने के लिये प्रतिदेय अग्रिम धन राशि दी जा सकती है।

अधिकतम अग्रिम राशि।

4. किसी मन्त्री को भवन निर्माण करने अथवा निर्मित भवन को खरीदने के लिये अधिक से अधिक साठ हजार रुपये अथवा भवन के वास्तविक मूल्य अथवा उसके निर्माण की कुल लागत जो भी कम हो अग्रिम धन राशि दी जा सकती है।

भुगतान की प्रणाली ।

5. इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय अग्रिम धन राशि का भुगतान निम्नलिखित ढंग से किया जायेगा :-

(1) अपने भवन के निर्माण के लिए --

(क) पहली किस्त--निर्माण आरम्भ करने के लिए--स्वीकृत धन राशि के 50 प्रतिशत के बराबर।

(ख) दूसरी तथा अन्तिम किस्त--जब भवन छत की सतह तक पूर्ण हो जाये--स्वीकृत कुल अग्रिम धन राशि का शेष 50 प्रतिशत।

(2) नव निर्मित भवन को खरीदने के लिए--एक मुश्त राशि।

टिप्पणी.--मन्त्री यह प्रमणित करते हुए एक प्रमाण पत्र अवश्य प्रस्तुत करेगें कि उनके द्वारा प्राप्त की गई धन राशि का प्रयोग उनके द्वारा उसी प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए यह धन राशि उन्हें अग्रिम धन के रूप में दी गई थी। यह प्रमाण पत्र उन द्वारा राशि के उक्त प्रयोजन के लिए वास्तविक प्रयोग हेतु पर्याप्त प्रमाण माना जायेगा ।

अग्रिम धन राशि की वसूली ।

6. (1) नियम 4 के अधीन स्वीकृत अग्रिम धन राशि तथा उस पर प्रोद्भूत होने वाले ब्याज की वसूली 120 समान मासिक किस्तों में की जायेगी। सरकार शेष कार्य अवधि को ध्यान में रखते हुए या मन्त्री यदि स्वयं ऐसा चाहे तो कम किस्तों में वसूली के आदेश दे सकती है। कटौती, प्रथम किस्त अथवा एक मुश्त अग्रिम राशि प्राप्त करने के पश्चात् लिए जाने वाले पहले वेतन से आरम्भ की जायेगी।

(2) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अपने सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली उसी प्रकार की अग्रिम राशि पर समय-समय पर नियत किये जाने वाले ब्याज दर के अनुसार इस राशि पर साधारण ब्याज लिया जायेगा। परन्तु अग्रिम राशि लेने के समय नियत की गई ब्याज की दर अग्रिम राशि के पूरे समय तक वही बनी रहेगी।

(3) यदि कोई मन्त्री अग्रिम धन राशि के पूर्ण प्रतिसंदाय होने से पूर्व ही किसी कारण वश मन्त्री पद पर नहीं बना रहता परन्तु विधान सभा सदस्य बना रहता है तो मासिक किस्तें उसे विधान सभा सदस्य के रूप में मिलने वाले विभिन्न भत्तों में से विधान सभा सचिवालय द्वारा वसूली की जायेगी।

(4) यदि कोई मन्त्री किसी कारणवश अग्रिम धन राशि के पूर्ण प्रतिसंदाय होने से पूर्व ही किसी कारणवश मन्त्री पद पर नहीं बना रहता परन्तु पैंशन का हकदार होता है तो उसे मिलने वाली पैंशन में से विधान सभा सचिवालय द्वारा वसूली की जायेगी तथा मासिक किस्तों की बकाया राशि उसके द्वारा नियमित रूप से खजाने में जमा की जायेगी और इस भुगतान के प्रमाण के रूप में वह चालान की एक प्रति सरकार को नियमित रूप से प्रेषित करेगा।

(5) यदि वह विधान सभा सदस्य के पद पर नहीं रहता तथा पशन का हकदार भी नहीं रहता तो उसे मासिक किस्तें उस पर प्रोदभूत ब्याज सहित नियमित रूप में सरकारी खज़ाने में जमा करानी पड़ेगी तथा इसके प्रमाण में खजाने के चालान की प्रति सरकार को प्रेषित करनी पड़ेगी।

(6) अग्रिम धन राशि तथा उस पर प्रोद्भूत ब्याज की वसूली से पूर्व ही मृत्यु की दशा में मन्त्री अथवा विधान सभा सदस्य के वैधिक उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों द्वारा मासिक किस्त नियमित रूप में सरकारी खजाने में जमा कराई जायेगी जिसके प्रमाण में खजाने के चालान की प्रति सरकार को हर मास प्रेषित करनी होगी।

(7) यदि मन्त्री या उनका वैधिक प्रतिनिधि यथा स्थिति, अग्रिम धन राशि अथवा उस पर ब्याज की मासिक किस्त की नियमित अदायगी नहीं करता या यदि वह दिवालिया हो जाता है या ऋण के अदायगी के नियमों तथा शर्तों के अनूपालन या पालन करने में विफल होता है तो इस दशा में ऋण की सम्पूर्ण मूल राशि या उस में से इतना जितना कि उस समय दे तथा असंदत रहा हो सरकार को, उस पर विहित दर से ब्याज सहित एक मुश्त में तत्काल देय होगा सरकार को उपरोक्त बकाया राशि "भू-राजस्व के बकाया" के रूप में वसूल करने की छूट होगी।

व्याख्या.—मासिक रूप में वसूल की जाने वाली अग्रिम धन राशि, अन्तिम किस्त जिसमें शेष राशि रुपये के किसी अंश सहित वसूल की जानी है को छोड़ कर पूरे रुपयों में नियत की जायेगी।

ऋण के भुगतान की सुरक्षा हेतु बंधक पत्र निष्पादन का दायित्व।

7. किसी मन्त्री का यदि अग्रिम धन तथा संभूत ब्याज के पूर्ण परिशोधन होने से पूर्व ही निधन हो जाता है अथवा वह मन्त्री पद पर नहीं रहता है तो इसके फलस्वरूप सरकार को होने वाली हानि को प्रतिभूत करने के लिये उस भवन को जो कि निर्मित किया गया है अथवा खरीदा गया है को उस भूमि सहित जिस पर वह भवन है, को इन नियमों में संलग्न प्रारूप II पर हिमाचल प्रदेश सरकार के पास बंधक किया जायेगा जिसका निष्पादन पहली किस्त अथवा एक मुश्त राशि के भुगतान से पूर्व यथा स्थिति किया जायेगा तथा देय राशि की पूरी अदायगी के पश्चात बंधक को इन नियमों को संलग्न प्रारूप III पर प्रतिहस्तांतरण विलेख के निष्पादन पर मुक्त किया जायेगा। बंधक पत्र के निष्पादन होने पर, सम्मोदक प्राधिकारी उस भूमि पर जिस पर उक्त भवन खड़ा है या उसे निर्मित करने का प्रस्ताव है आवेदक के हक को शुद्धता से अपने आप को सन्तुष्ट करेगा।

परिसर को अच्छी अवस्था में रखने तथा आग में जोखिम आदि के लिये बीमा कराने का दायित्व।

8. मन्त्री अपने खर्च पर भवन को अच्छी अवस्था में रखेंगे तथा इसे सभी ऋण भारों से भी मुक्त रखेंगे। वह इस को आग, बाढ़ आदि-आदि के लिये इतनी राशि तक का बीमा करवाएंगें जो कि स्वीकृत अग्रिम धन राशि से कम न हो तथा इस प्रयोजन का वार्षिक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे।

अग्रिम जो इन नियमों के प्रारम्भ होनें से पूर्व दिया गया है।

9. इन नियमों के प्रारम्भ होने से पूर्व किसी मन्त्री को दिया गया गृह निर्माण अग्रिम ऋण इन नियमों के अधीन दिया गया समझा जायेगा तथा इन नियमों के सभी उपबन्ध ऐसे किसी भी अग्रिम तथा इसकी वसूली पर लागू होंगे।

प्रारूप–I

(नियम 3 देखिये)

भवन निर्माण हेतु अग्रिम धनराशि के लिये आवेदन का प्रारूप

---

1. मन्त्री का नाम स्पष्ट अक्षरों में .....
2. अपेक्षित अग्रिम धनराशि निर्दिष्ट करते हुये अर्थात् .....
   (i) भवन निर्माण के लिये अपेक्षित, अथवा .....
   (ii) बने हुये भवन के लिये अपेक्षित .....

3. उस स्थान, जहां पर भवन बनाया जाना है यह उल्लेख करते हुये आया कि वह किसी स्थानीय निकाय के अन्तर्गत आता है का ब्योरा यदि वह स्थानीय निकाय की सीमा में है, तो सम्बन्धित निकाय के नक्शा

स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी की स्वीकृति संलग्न की जाए । प्रस्तावित भवन के विस्तृत नक्शे जिस में किसी अधिकारी जो कि सहायक इन्जीनियर के स्तर से निम्न का न हो द्वारा प्रति हस्ताक्षरित कुल खर्च का अनुमान दिया गया हो, तथा यदि ऋण बने हुये भवन को खरीद के लिये आवेदित हो, तो भवन की लागत के उचित होने के सम्बन्ध में वास्तुविद अर्थात् आर्किटैक्ट का प्रमाण-पत्र, साथ लगाया जाये ।

4. किस्तों की संख्या, जिनमें अग्रिम धनराशि ली जानी प्रस्तावित है अथवा एक मुश्त में.....

5. ऋण वापसी के लिये प्रस्तावित किस्तों की संख्या.....

6. आया कि वह प्लॉट जिस पर मन्त्री भवन का निर्माण का इरादा रखते है उनके स्वामित्व और कब्जे में है.....

7. प्लाट/जमीन, जिस पर आवेदक भवन निर्माण का इरादा रखता है, पर उसके हक का प्रमाणित सबूत.....

8. समय जब तक मन्त्री भवन के निर्माण का कार्य आरम्भ करेंगे और उसके मुकम्मल होने की अवधि.....

. . .)

प्रमाणित करता हूं कि उपर्युक्त सूचना मेरी पूरी जानकारी के अनुसार सही है और मैं बने हुए भवन/प्लाट जिस पर भवन बनाया जाना है, को बन्धक रखूंगा तथा बन्धक-पत्र निष्पादित और पंजीकृत करवाऊंगा ।

प्रमाणित करता हूं कि मैंने हिमाचल प्रदेश मन्त्रियों के मोटरकार के लिये अग्रिम धनराशि नियम, 1971 के अधीन मोटरकार खरीदने के लिये ऋण की सुविधा प्राप्त नहीं की है ।

.....

(मन्त्री के हस्ताक्षर)

1. दिनांक.....

2. संलग्न.....

प्रारूप–II

(नियम 7 देखिये)

भवन निर्माण अग्रिम धन राशि के लिये बन्धक का प्रारूप

यह करार एक पक्षकार के रूप में श्री ..... जो कि ..... मन्त्री, हिमाचल प्रदेश है (जिन्हें इसमें आगे "बन्धककर्त्ता" कहा गया है और इसके अन्तर्गत, जब तक कि संदर्भ के अनुकूल है, उसके वारिस, निष्पादक और समनुदेशिती भी है) तथा दूसरे पक्षकार के रूप में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महोदय (जिन्हें इस में आगे "बन्धक ग्राहीता" कहा गया है और इस के अन्तर्गत यहां संदर्भ के अनुकूल है, उनके उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी है) आज तारीख ..... को किया गया ।

चूंकि एतद्द्वारा स्वत्वान्तरित, हस्तांतरित और प्रयोजित की जाने वाली भूमि-दाय और परिसरों जिन्हें इस में आगे वर्णित और अभिव्यक्त किया गया है (इस में इसके पश्चात् "उक्तदाय" कहा गया है) पर बन्धक-कर्त्ता का निरंकुश रूप में अभिग्रहण और कब्जा है अथवा अन्यथा इस में उनका वह सही हकदार है ;

और चूंकि बन्धककर्ता ने बन्धक ग्राहिमा को अपने निजि प्रयोग के लिये अपना भवन बनाने के लिये/नव निर्मित भवन खरीदने हेतु रुपये ..... को अग्रिम धनराशि के लिये आवेदन पत्र दिया है ;

और चूंकि हिमाचल प्रदेश के मन्त्रियों के (भवन निर्माण के लिये अग्रिम धन ऋण) नियम, 1979 जिन्हें इस में आगे "उक्त नियम" कहा गया है और इनके अन्तर्गत जब तक कि संदर्भ के अनुकूल है, वर्तमान प्रवृत्त नियम, उनका कोई संशोधन या उन में कोई वर्धन भी आता है, बन्धक ग्रहिता ने बन्धककर्ता को .... रूपये की उक्त रकम निम्नलिखित रूप में भुगतान योग्य अग्रिम धनराशि के रूप में देने को सहमत है :

(क) निर्माण कार्य आरम्भ करने के लिए रुपये .....

(ख) भवन को छत की सतह तक पूर्ण कर लेने के पश्चात् रुपये .....

(ग) अथवा एक मुश्त राशि के रूप में रुपये .....

यह करार इस बात का साक्षी है कि पूर्वोक्त करार के अनुसरण में तथा बन्धक ग्राहिता द्वारा बन्धक कर्ता को इसमें इस से पूर्व उल्लिखित खर्चों को करने में बन्धककर्ता को योग्य बनाने के प्रयोजन से इस करार के निष्पादन के पश्चात या उस से पहले प्रदत्त रुपये .....(रुपये .....)
(जिनकी पावती बन्धककर्ता एतद्द्वारा स्वीकार करता है) (और ऐसी और धनराशि जो बन्धकग्राहिता द्वारा बन्धकदाता को इस करार में आगे उल्लिखित उपबन्धों के अनुसरण में दी जायेगी) और उस पर उक्त नियमों में निर्धारित रीति से गणित ब्याज जिसकी पुनः अदायगी के लिए बन्धककर्ता एतद्द्वारा संश्रावित करता है, के लिए बन्धककर्ता यह करार करता है ;

और यह करार इस बात का भी साक्षी है कि पूर्वोक्त प्रतिफल के लिए बन्धकर्त्ता बन्धकग्राहीता को उस सारे भूखण्ड को, जो बन्धक कर्ता के लगभग कब्जे में है तथा जो .....
जिले के .....पंजीकरण जिला के .....
उप-पंजीकरण जिला के .....में स्थित है तथा
जो उत्तर में .....से पूर्व में .....
से दक्षिण में .....से तथा पश्चिम में .....
से परिसिमित है एवं उस पर अब बनाये गये रिहायशी मकान अथवा इसके पश्चात् बनाये जाने वाले रिहायशी मकानों के साथ उक्त दाय के सभी अधिकार, सुखाधिकार, अनुलग्न और उक्त भूमि के खण्ड पर इसके पश्चात् खड़े किये गये या बनाये गये मकानों को बन्धक ग्राही के और उसको और से पूर्ण प्रयोग के लिये इस में इसके पश्चात् निहित परन्तुक में दिये गये विमोचन के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुये इस द्वारा स्वत्वान्तरित हस्तान्तरित और प्रयोजित करता है। सर्वथा यह भी करार किया जाता है कि यदि और ज्यों ही इस करार में उल्लिखित प्रतिभूति पर दी गई उक्त अग्रिम धनराशि रुपये .....
(और ऐसी अन्य रकमें जिनका यथा पूर्वोक्त भुगतान किया गया हो) और उक्त नियमों म उपबन्धित या किसी अन्य रीति से गणित उस पर ब्याज आदि वापिस किया जाता है, तब और ऐसी स्थिति म बन्धक ग्राहीता बन्धककर्ता की प्रार्थना और लागत पर बन्धककर्ता के प्रयोग और उसकी ओर से प्रयोग अथवा जैसे वह निर्देश दे, उक्त दावे को पुनः स्वात्वान्तरित, पुनः हस्तांतरित और पुनः प्रगोपित करेगा और इस द्वारा यह करार अथवा घोषित किया जाता है कि यदि बन्धककर्ता इकरार को भंग करता है और यदि उक्त रकम रुपये .....
(और कोई अन्य रकम जिसका यथा पूर्व भुगतान किया जाना हो) और उक्त नियमों के अनुसार उस पर गणित किये गये ब्याज के पूरे भुगतान से पहले यदि उनकी मृत्यु हो जाती है या वे मन्त्री के पद पर नहीं रहते हैं तो इस प्रकार की सभी स्थितियों में बन्धकग्राहिता के लिये यह विधि मान्य होगा कि वह उक्तदाय को या उसके किसी अंश को इकठे या आंशिक रूप से सार्वजनिक निलामी या निजि संविदा के द्वारा, संविदा को रद्द या निरस्त करन की शक्ति के सहित विक्रय और उस द्वारा होने वाली हानि के लिये उत्तरदायी हुये बिना पुनः विक्रय

कर सके, तथा वह ऐसे किसी विक्रय जिसे बन्धकग्राहिता उपर्युक्त समझे, को करने और उस के लिये आवश्यक सभी कार्यों तथा आश्वासनों को निष्पन्न करने में सक्षम होगा तथा एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि बन्धकग्राहिता विक्रीत परिसरों या उसके किसी भाग से प्राप्त विक्रय आगम में से क्रेता अथवा क्रेताओं को अचूक रूप से मुक्त करेगा, तथा एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि बन्धकग्राहिता पूर्वोक्त शक्ति के अनुसरण में किये गये विक्रय से प्राप्त धनराशि को पहले न्यास के रूप में रखेगा, उस में से सर्व प्रथम ऐसे विक्रय पर उपगत हुये खर्चे का भुगतान करेगा, इसके पश्चात इस करार की प्रतिभूति पर फिलहाल देय रकमों के भुगतान की ओर उस धनराशि से रकम लगायेगा और तब शेष (यदि कोई हो) बन्धककर्त्ता को देगा। तथा एतद्द्वारा यह माना जाता है तथा घोषित किया जाता है कि उक्त नियमों को इस करार का अंश समझा और माना जायेगा।

बन्धककर्त्ता, बन्धकग्राहिता के साथ एतद्द्वारा यह संथावित करता है कि वह बन्धककर्ता, अपनी अनुभूति के चालू रहने के दौरान इस करार और उक्तदाय के सम्बन्ध में पालित और अनुष्ठित किये जाने वाले उक्त नियमों के उपबन्धों और शर्तों का पालन और अनुष्ठान करेगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप बन्धककर्त्ता नें इस विलेख पर ऊपर लिखी तारीख को अपने हस्ताक्षर किये हैं।

निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त बन्धकदाता के द्वारा हस्ताक्षरित:

(1) पहला साक्षी
पता
पेशा

(2) दूसरा साक्षी
पता
पेशा

प्रारूप–III

(नियम 7 देखिये)

भवन निर्माण अग्रिमों हेतु प्रति हस्तान्तरण-पत्र

यह अनुबन्ध विलेख दिनांक.....19 को एक पक्षकार के रूप में राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश (जिन्हें इसके आगे "सरकार" कहा गया है) और दूसरे पक्षकार के रूप में श्री..... .....मन्त्री, हिमाचल प्रदेश (जिन्हें इसके आगे "बन्धककर्त्ता" कहा गया है) के बीच किया गया, वह उस बन्धक-पत्र के अनुबन्ध विलेख का अनुपूरक है जो कि दिनांक.....19 को एक पक्षकार के रूप में बन्धककर्त्ता तथा दूसरे पक्षकार के रूप में राज्यपाल के बीच किया गया था तथा जो पुस्तिका के खण्ड.....पृष्ठ.....से.....पर.....क्रम म पंजीकृत है। (जिसे इसके आगे "मुख्य अनुबन्ध विलेख" कहा गया है)।

चूंकि मुख्य अनुबन्ध विलेख के अधीन देय राशि अदा कर दी गई है और उक्त विलेख की प्रति भूति का दायित्व पूर्ण तथा शोधित है तथा राज्यपाल बन्धककर्त्ता के निवेदन पर लिखित अनुबन्ध विलेख म अन्तर्विष्ट प्रति हस्तान्तरण, जैसा कि एतद्वारा उपरान्त समाविष्ट है के निष्पादन के लिये सहमत हो गय हैं;

अब यह अनुबन्ध विलेख इस बात का साक्षी है कि उक्त मुख्य अनुबन्ध विलेख के अनुसरण और वचनों के प्रतिफल म राज्यपाल एतद्द्वारा बन्धककर्त्ता उसके वारिस, निष्पादक प्रबन्धक तथा समनुदेशाती को भमि के उन सभी भागों जो.....में स्थित है, व उत्तर में.....से दक्षिण में.....से पूर्व में.....से तथा पश्चिम में लगभग..... तक परिसीमित है तथा जिस में उन परिसरों से अन्यथा सामुहिक रूप से उस पर बने निवास स्थान, वाह्य कार्यालय, अश्वशाला, पाकशाला आदि सम्मिलित है तथा जो मुख्य अनुबन्ध विलेख में अन्तर्विष्ट या जिनका एतद्द्वारा प्रगोपित होना अभिव्यक्त है अथवा जो कि अब मुख्य अनुबन्ध विलेख के कारण अथवा इसके विमोचन के अध्याधीन किसी भी प्रकार राज्यपाल में निहित उनके अधिकारों, सुविधाओं तथा अनुलग्नकों जैसा कि मुख्य अनुबन्ध विलेख में अभिव्यक्त है तथा मुख्य अनुबन्ध विलेख के कारण उसी परिसर में से अथवा पर राज्यपाल के सभी सफदा अधिकार, स्वत्वधिकार, हित, सम्पत्ति, प्रभार, तथा मांगें जो भी कोई हो तथा उन परिसरों जो एतद्द्वारा इससे पूर्व बन्धककर्ता, उसके वारिसों, निष्पादक, प्रबन्धक तथा समनुदेशिती में तथा उसके प्रयोग के लिये स्वीकृत, नियम तथा प्रतिहस्तान्तरित है को रखने अथवा बनाय रखने के लिये तथा मुख्य अनुबन्ध विलेख द्वारा रक्षित होने के लिये उस सारे धन से अथवा उपरोक्त राशि अथवा उसके किसी भी अंग अथवा परिसर व मुख्य अनुबन्ध विलेख से सम्बद्ध सभी कार्य, वादों, लेखों, दावों, मांगों से सदा के लिये मुक्त करता है, तथा राज्यपाल एतद्द्वारा बन्धक कर्ता, उसके वारिसों समनुदेशितों तथा प्रबन्धकों के साथ इसे व्यवहृत करते हैं तथा अभिहस्ताकित करते हैं कि राज्यपाल ने कुछ भी ऐसा नहीं किया है अथवा इसके लिये जानबूझ कर समुनुज्ञा नहीं की है अथवा इसके लिये वह एक पक्ष अथवा सहभागी नहीं रहे हैं जिसके द्वारा उपरोक्त परिसर अथवा उसके किसी भी भाग के लिए उन पर महाभियोग लाया जाए या लाया जा सकता है या स्वत्वधिकार सम्पदा अथवा इसके अन्यथा जो भी हो में परिबन्धन अथवा रुकावट लाये या लाई जा सके। इसके साक्ष्य स्वरूप इस से सम्बद्ध पक्षकारों ने इस पर पहले ऊपरलिखित दिन और वर्ष को मोहर सहित अपने हस्ताक्षर किये हैं।

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की ओर से.....के सम्मुख हस्ताक्षरित, मोहर वाद तथा प्रदत्त ।

आज्ञानुसार,

के० सी० पाण्डेय,
मुख्य सचिव ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-3 द्वारा मुद्रित ।